मिलेगा लाभ : प्रधान न्यायुक्त नवनीत कुमार ने अधिवक्ताओं व पीएलवी को कराया अवगत

लाभुकों तक पहुंचाएं योजनाओं की जानकारी

- मध्यस्थता केंद्र में नालसा की सात योजनाओं पर कार्यशाला

जागरण संवाददाता, रांची : जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से गुरुवार को मध्यस्थता केंद्र में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सात योजनाओं को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार ने नालसा तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवा, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवा, बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए योजना, मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं योजना, गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन, नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने इस योजना का लाभ लाभुकों तक पहुंचाने की सलाह दी।

मध्यस्थता केंद्र में प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार, राजेश कुमार सिंह व अन्य।

उन्होंने कहा कि बच्चों को कोई दबाव नहीं दे सकता है। वह इच्छा के अनुरूप कोई कार्य करते हैं तो दोष नहीं है। उन्होंने अंधविश्वास में नहीं पड़ने की बात कही। जहां अंधविश्वास जैसी बातें हो रही हो वहां जागरूकता अभियान चलाने की बात कही। एक्जक्यूटिव मजिस्ट्रेट श्वेता गुप्ता ने योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में मदद की बात कही। वहीं पुलिस अधिकारी संदीप कुमार गुप्ता ने पुलिस प्रशासन की ओर से मिलने वाली सुविधाओं को प्रदान करने व पीएलवी व पैनल अधिवक्ताओं को काम करने में दिक्कत नहीं होने देने की बात कही।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजेश कुमार सिंह ने कार्यक्रम का संचालन व धन्यवाद ज्ञापन किया। उन्होंने कहा कि नालसा की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए डालसा कटिबद्ध है। पीएलवी व पैनल अधिवक्ताओं के माध्यम से योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया जायेगा। सभी की आपसी सहयोग व समन्वय से कार्य किये जायेंगे।

कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता प्रदीप नाथ तिवारी, मधुसुदन गांगुली, मनीषा रानी, ममता श्रीवास्तव, कैलाश गोप, विजया लक्ष्मी श्रीवास्तव, विनोद कुमार साहु, अर्चना साबू, पीएलवी विक्की कुमार चौधरी, नीलम कुमारी, मुकेश चौधरी आदि मौजूद थे।

दैनिक जागरण 6/8/2016

मिल है. पुलिस को पूछताछ जारी है. जानकारी लेकर कोर्ट को अवगत करायें. मामले की अगली सुनवाई 18 मई को होगी.

प्रभात खबर 6/5/16

नालसा की सात योजनाओं पर कार्यशाला, प्रधान न्यायायुक्त ने कहा

योजना की जानकारी लोगों तक पहुंचाएं

संवाददाता ▸ रांची

प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार ने कहा कि नालसा की योजनाएं जनता से जुड़ी हैं. इन योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ताकि वे इसका फायदा उठा सकें. पैनल अधिवक्ताओं और पारा लीगल वोलेंटियर को चाहिए कि वे बेहतर तरीके से काम करें और संबंधित लक्ष्य ग्रुप तक इन योजनाओं को पहुंचायें. प्रधान न्यायायुक्त ने उक्त बातें गुरुवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) के सभागार में आयोजित कार्यशाला में कही. यह कार्यशाला राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (नालसा) की सात योजनाओं पर आधारित थीं. प्रधान न्यायायुक्त ने कहा कि सात योजनाओं के लिए अलग-अलग सात टीम का गठन किया गया है. हर महीने बैठक कर इन योजनाओं पर विमर्श होगा.

कार्यशाला में उपस्थित प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार व अन्य.

टीम को महीने भर के कार्य का विवरण देना होगा.

एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट श्वेता गुप्ता ने कहा कि सातों योजनाओं को सफल बनाने के लिए नोडल पदाधिकारी नियुक्त किये जायेंगे. सभी टीमों के साथ विमर्श किया जायेगा, ताकि योजनाओं की सफलता सुनिश्चित की जा सके. डीएसपी संदीप गुप्ता ने कहा कि इन योजनाओं की सफलता के लिए पुलिस भी सहयोग करेगी. कार्यक्रम में डालसा के सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि यह काम दिखाने का मौका है. लाभुकों तक योजनाओं को पहुंचायें. योजनाओं की सफलता में आपसी सहयोग और समन्वय जरूरी है. समय-समय पर प्रशिक्षण का कार्य चलता रहेगा. मौके पर 28 अधिवक्ता और पारा लीगल वोलेंटियर उपस्थित थे.

नालसा की इन सात योजनाओं पर हुई परिचर्चा

नालसा (तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015.

नालसा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015.

नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए) योजना 2015.

नालसा (मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015.

नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभारी क्रियान्वयन) योजना 2015.

नालसा (आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन) योजना 2015.

नालसा (नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015.

खबर मन्त्र 06.05.2016

पीएलवी नालसा की सातों योजनाओं को उसके लाभुकों तक पहुंचाएं : डालसा अध्यक्ष

कार्यशाला में मौजूद लोग

संवाददाता

रांची। जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) के तत्वावधान में गुरुवार को सिविल कोर्ट स्थित मध्यस्थता केन्द्र में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के सात योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें प्रधान न्यायायुक्त सह डालसा अध्यक्ष नवनीत कुमार ने पैनल अधिवक्ताओं व पीएलवी को संबोधित करते हुए कहा कि अब समय आ गया जब सातों योजनाओं को उसके लाभुकों तक पहुंचाना है। इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर लाने में जो भी समस्याएं आएगी उसे तत्काल डालसा सचिव को अवगत कराने को कहा। किसी भी हाल में योजनाओं को उसके लाभुकों तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि बच्चों को कोई दबाव नहीं दे सकता है। वह इच्छा के अनुरूप कोई कार्य करते हैं तो इसमें दोष नहीं है। श्री कुमार ने कहा कि जहां अंधविश्वास जैसी बातें हो वहां जागरूकता अभियान चलाकर इसे दूर किया जाए। कार्यशाला में एक्सक्यूटिव मजिस्ट्रेट श्वेता गुप्ता ने योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में मदद की बात कही। वहीं पुलिस अधिकारी संदीप कुमार गुप्ता ने पुलिस प्रशासन की ओर से मिलनेवाली सुविधाओं को प्रदान करने साथ में पीएलवी व पैनल अधिवक्ताओं को काम करने में दिक्कत नहीं होने देने की बात कही। डालसा सचिव राजेश कुमार सिंह ने कार्यशाला का संचालन व धन्यवाद ज्ञापन किया। उन्होंने कहा कि योजनाओं को जमीनी स्तर लाने के लिए डालसा कटिबद्ध है। सभी की आपसी सहयोग व समन्वय स्थापित कर योजनाओं को लाभुकों तक पहुंचाना है। इस अवसर पर बालसखा से राहुल प्रवीण व सुदर्शन कुमार, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की ओर से विद्याकान्त झा, दीया सेवा संस्थान, दीपशिखा, श्रीजन फाउंडेशन, विकास भारती, पैनल अधिवक्ता प्रदीप नाथ तिवारी, कैलाश गोप, मधुसुदन गांगुली, ममता श्रीवास्तव, आनंद सिंह, प्रेम प्रकाश गोप, जहाना प्रवीन, नंदा नायक, आदि मौजूद थे।

» सातों योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

इन योजनाओं को पहुंचना है जन-जन तक

नालसा योजना के तहत आदिवासियों के अधिकारो का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाएं, नशा पीड़ितों एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं, मानसिक रूप से बीमार व विकलांग व्यक्तियों के लिए, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए, बच्चों को मैत्रीपूर्ण व उनके संरक्षण के लिए, गरीबी उन्मूलन योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन तथा तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं शामिल हैं।

राँची एक्सप्रेस 6/5/16

नालसा की सात योजनाओं को लाभुकों तक पहुंचाने के लिए अधिवक्ता-पीएलवी तैयार

रांची: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (नालसा) की सात महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ लाभुकों तक पहुंचाने के लिए आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) सभागार में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में उपस्थित पैनल अधिवक्ता एवं पारा लीगल वोलेंटियर को संबोधित करते हुए सिविल कोर्ट, रांची के प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार ने कहा कि नालसा ने समाज के उपेक्षित लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए सात महत्वपूर्ण योजनाएं बनायी हैं। इन योजनाओं के सफल कार्यान्वयन से समाज के उपेक्षित वर्गों को मुख्यधारा में लाया जा सकता है। श्री कुमार ने पैनल अधिवक्ताओं एवं पीएलवी से इन योजनाओं को पूरी ताकत के साथ लाभुकों तक पहुंचाने का आह्वान किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि नालसा की सात योजनाओं के बारे में जागरूकता लाने के साथ ही इन योजनाओं को लाभुकों तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए।

कार्यक्रम में उपायुक्त के प्रतिनिधि के रूप में कार्यपालक दंडाधिकारी श्वेता गुप्ता, एसएसपी के प्रतिनिधि के रूप में संदीप कुमार गुप्ता एवं बड़ी संख्या में पैनल अधिवक्ता तथा पारा लीगल वोलेंटियर उपस्थित थे।

छाया : आसिफ

नालसा की सात प्रमुख योजनाएं

- नालसा तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं योजना, 2015
- नालसा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएं योजना, 2015
- नालसा बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए योजना, 2015
- नालसा मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं योजना, 2015
- नालासा गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन योजना, 2015
- नालसा आदिवासियों के अधिकारियों का संरक्षण और प्रवर्तन योजना, 2015
- नालसा नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं योजना, 2015